अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के सिविल एवं कार्य विभागों के लेन-देंनों की अनुपालन लेखापरीक्षा, केन्द्र पोषित एवं राज्य आयोजना की योजनाओं तथा राज्य की स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ चयनित योजनाओं तथा विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपुर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल की जानकारी में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग का स्तर, लेन देनों की प्रकृति, घनत्व एवं मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा परिणामों से यह आशा की जाती है कि यह कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही कर संस्थान के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए नीति एवं निर्देश निर्धारण हेतु सक्षम बनाकर सुशासन में योगदान प्रदान करे।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत यह पता लगाने के लिए जाँच की जाती है कि क्या लेखा परीक्षित इकाई के व्ययों, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों से संबंधित लेन-देनों में भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया गया है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा किसी संगठन, कार्यक्रम या योजना की इस उद्देश्य से परीक्षा एवं स्वतंत्र मुल्यांकन है कि उसका संचालन किस सीमा तक मितव्ययी, दक्ष्य एवं प्रभावी है।

इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाईयों का परिचय, योजना और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रतिवेदन का अध्याय-दो निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, अध्याय-तीन उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा अध्याय-चार विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा को प्रदर्शित करता है।

1.2 लेखा परीक्षित इकाईयों का परिचय

विशेष सचिवों, उप सचिवों, निदेशकों और अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से संचालित अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों/सचिवों की अध्यक्षता में 36 विभागों के सचिवालय स्तर तथा 30 स्वायत्त निकाय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में है।

वर्ष 2011-12 तथा विगत दो वर्षों में सरकार के खर्चों की तुलनात्मक स्थिति तालिका-1 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1: अवधि 2009-12 के लिए व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजनेत्तर	*आयोजना*	*कुल*	*आयोजनेत्तर*	*आयोजना*	*कुल*	*आयोजनेत्तर*	*आयोजना*	*कुल*
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएं	4305	45	4350	5211	36	5247	5829	75	5904
सामाजिक सेवाएं	2875	5149	8024	2807	5503	8310	3381	7096	10477
आर्थिक सेवाएं	2824	1600	4423	2582	2509	5091	2727	2833	5560
सहायता अनुदान	444	25	469	686	21	708	687	0	687
योग (1)	10448	6818	17265	11286	8069	19356	12624	10004	22628
पूंजी परिव्यय(2)	0	2745	2745	01	2951	2952	01	4056	4056
वितरित ऋण एवं अग्रिम(3)	--	--	897	--	--	567	10	1259	1269
अंतर्राज्यीय निपटान(4)	--	--	03	--	--	02	--	--	04
लोक ऋण का भुगतान(5)	--	--	652	--	--	691	--	--	852
संचित निधि से कुल संवितरण (1+2+3+4+5+)	**10448**	**9563**	**21562**	**11287**	**11020**	**23567**	**12634**	**15319**	**28810**
आकस्मिकता निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	--	--	23879	--	--	26896	--	--	32940
योग	**10448**	**9563**	**45441**	**11287**	**11020**	**50464**	**12635**	**15318**	**61749**

1.3 लेखापरीक्षा के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से लेखापरीक्षा के अधिकार लिए गये है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,19 एवं 20 के अंतर्गत, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सिविल एवं कार्य विभागों तथा स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्वांतों एवं कार्य पद्वति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मैनुअल में उल्लेखित किया गया है।

1.4 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य भर में फैले शासकीय विभागों/कार्यालयों स्वायत्त संस्थानो (गैर पी एस यू) की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशन में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा निष्पादित की जाती है। दो समुह अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सहायता प्रदान की जाती है।

1.5 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

व्ययों, गतिविधियों की क्लिष्ठता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकन तथा हितधारकों की सलाह से विभिन्न शासकीय विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोंजनाओं के जोखिम आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस प्रक्रिया में विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण किये जाने के पश्चात इकाई के विभाग प्रमुख को लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। इकाईयों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। उत्तर की प्राप्ति पर या तो लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न विभागों/संगठनों की 3056 इकाईयों में से 212 इकाइयों की लेखापरीक्षा किये जाने हेतु 1481 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान 40 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य शासन के विभिन्न सिविल एवं कार्य विभागों, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि की 212 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष

शासकीय कार्यक्रमों में न्यूनतम लागत पर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है और लक्षित लाभ प्रदान किया है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की जाती है। विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक मूल्यांकन एवं प्रणाली गत मुद्दो जिन्हें उपयुक्त उच्च स्तरों पर निपटाया जाना चाहिए की पहचान करने, हेतु मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखापरीक्षा की जाती है।

"छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली" एवं "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" की निष्पादन लेखापरीक्षा "छत्तीसगढ़ विपणन संघ द्वारा धान की खरीद एवं वितरण" एवं "भूमि का अधिग्रहण एवं आवंटन" की लेखापरीक्षा तथा "उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी विभाग" एवं "लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग" की सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा के परिणमों को सम्मिलित किया गया है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य निष्कर्षो की चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 'छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्य प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्य प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि निर्माण गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से करने हेतु बोर्ड ने कोई परिपेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी। उन्होने आवंटित निधि का समयबद्व ढंग से उपयोग नहीं किया था, परिणामतः सतत बचतें रहीं थी। आवास योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई डब्ल्यू एस) को भूमि आवंटन के मापदण्डों का पालन नही किया गया था। ई डब्ल्यू एस को आवंटित भूमि का उपयोग व्यवसायिक परिसर तथा उच्च एवं मध्यम आय वर्ग समूहों के लिए मकान निर्माण हेतु कर लिया गया था। निर्धन परिवारों के लिए निर्मित आवासों को लाभार्थियों को सौपा नहीं जा सका था। स्फूर्तित प्राक्कलन तैयार किये जाने, अयोग्य अग्रिम का भुगतान, अतिरिक्त भुगतान आदि के कारण परियोजनाओं को मितव्ययी रूप से लागू नहीं किया जा सका था।

1.6.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॉरंटी (एम एन आर ई जी ए) अधिनियम को राज्य शासन द्वारा मार्च 2006 में अधिसूचित किया गया । योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के मुख्यपदों पर काफी संख्या में रिक्तियाँ थी, जिसके कारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। यद्यपि वार्षिक कार्य योजनाएं बनाई गई थी किंतु लम्बी अवधि के रोजगार सृजन तथा सतत विकास को प्रदर्शित करती हुई परिपेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। उपलब्ध निधि के उपयोग में सतत कमी पायी गई। पात्र लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए द्वार से द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। केवल नौ प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा सका था। अतः योजना के 100 दिनों के रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर ग्राम पंचायतें, लाभार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में विफल रहा था तथापि लाभार्थियो को बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं किया गया था। समय पर मजदुरी भुगतान न किये जाने के बावजूद मजदूरी भूगतान अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य मुआवजों का भुगतान नहीं किया गया था।

कार्यो के निष्पादन में आयोग्य कार्यो का निष्पादन डब्ल्यू बी एम मार्गों को अनियमित स्वीकृति, एम आई एस कार्यो के लिए विक्रेताओं को भुगतान, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कार्यो की स्वीकृति, बिना माप लिए कार्यो का निष्पादन तथा कार्यो पर निरर्थक व्यय आदि जैसी कमियाँ पाई गई। मस्टर रोलों का समुचित संधारण नहीं किया गया था। राज्य में महिलाओं को प्रदाय किये गये रोजगार का प्रतिशत 47 से 49 प्रतिशत के बीच रहने के कारण, योजना के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्धारित पंजियों का समुचित संधारण नही किये जाने, योजनांतर्गत निरीक्षण एवं निगरानी के अभिलेखों का संधारण नही किये जाने तथा ऑनलाइन एम आई एस अपूर्ण रहने से स्पष्ट था कि निगरानी तंत्र कमजोर था। वर्ष 2007-12 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई थी।

1.6.3 भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन पर वृहद कंडिका

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत की गई कार्यवाहियो में दोष एवं कमियाँ थी। शासन स्तर पर केन्द्रीकृत डाटाबेस के अभाव में अधिकृत एवं आबंटित भूमि की स्थिति पर निगरानी नहीं रखी जा रही थी। शासकीय भूमि को कम दरों पर आवंटित किये जाने के परिणामस्वरूप प्रीमियम, लीज रेंट एवं सेवा प्रभार के रूप में राशि ₹48.83 करोड़ की कम वसूली हुई थी। उद्योगों के लिए अधिकृत भूमि को विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नही किया गया था। भूस्वामियों को मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित नही हो सका था। विस्थापित भूमि स्वामियों को निर्मित पुर्नवास नीति 2005 (यथा 2007 में संशोधित) के अनुसार पुर्नवासित नहीं किया गया था।

1.6.4 छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान उपार्जन एवं वितरण पर वृहद कंडिका

मार्कफेड बैंकों से ब्याज पर ऋण लेकर अपना व्यवसाय चला रहा था तथा धान के उपार्जन एवं वितरण में नियमित रूप से हानि उठा रहा था। अतः यह आवश्यक था कि उच्च प्रबंधन को अपनाया जावे। लेखाओं को अंतिम रूप नही दिये जाने एवं राज्य शासन को हानि प्रकरण देर से प्रस्तुत किए जाने के कारण मार्कफेड द्वारा ब्याज के भार को कम करने के लिए उठाये गये कदम अपर्याप्त थे, परिणामतः सरकार द्वारा निधियों का देरी से निर्गमन किया गया था। हमने पाया कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ सी आई) एवं नागरिक आपूर्ति निगम (नॉन) से प्राप्तियों, मिलरों के पास रह गये बारदानों के लिए निम्न दरों पर वसूलियों तथा एफ सी आई एवं महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.) के पास अवरूद्ध निधियों की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयास अपर्याप्त थे। प्रासंगिक प्रभारों के दावे को भारत सरकार को देरी से भेजे गये थे तथा उक्त प्रभारों को स्वीकार्य सीमा से अधिक व्यय किये जाने के परिणाम स्वरूप अंतिम लागत पत्र को अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी।

1.6.5 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की स्थापना परंपरागत कृषि, उच्च गुणवता वाले बीजों एवं पौध सामग्री के वितरण, अद्यतन तकनीक अपनाने, किसानों को प्रशिक्षण देने आदि के स्थान पर किसानों को उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित कर उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने तथा केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रिर्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के किर्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए रणनीतिक योजना तैयार की गई थी, किन्तु राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए इस तरह की कोई योजना तैयार नही की थी। आंतरिक लेखापरीक्षा जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, अनुपस्थित थी। औषधीय तथा सुगंधित पौधों एवं फूलों के अतिरिक्त अन्य उद्यानिकी फसलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य की उपलब्धियाँ अच्छी रही थी। उचित विभागीय निरीक्षण के अभाव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों की मृत्यु दर अत्याधिक थी। उद्यनिकी उत्पादों के मुल्यांकन के लिए विश्वसनीय

एवं वास्तविक आकड़ों के एकत्रिकरण हेतु तंत्र तैयार नहीं किया गया था। विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा नियमों/ विनियमों/निर्देशों का पालन न किये जाने के परिणम स्वरूप अनियमित व्यय, निधियों का व्यपवर्तन, अस्थायी अग्रिमों का समायेजन न होने तथा सिम्पल रिसीट बिलों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक आहरण तथा अनावश्यक क्रय के मामले हुए थे।

1.6.6 लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य की ग्रामीण/शहरी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न जल स्त्रोतो के निगरानी एवं प्रबंधन के लिए उत्तर दायी है। हमने योजनाओं के क्रियान्वयन की आयोजना में कमी पायी तथा ग्राम कार्य योजनाओं एवं जिला जल संरक्षण योजनाओं को तैयार न किये जाने के कारण वार्षिक कार्य योजना का भाग नही बनाया जा सका था। विभाग ने वर्ष 2003 से बसाहटों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था। परियोजना अपूर्ण रहने के कारण राशि ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था। एकीकृत अनुसूची एवं अनुबंध के प्रावधनों का विभाग द्वारा अनुपालन कराने में असफल रहने के कारण अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ था। जल स्त्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए विभाग ने राज्य एवं उप संभागीय स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की थी। फील्ड टेस्टिंग किट/रियेजेंट के अवितरित रहने एवं उनके कालातीत होने के कारण निरर्थक व्यय हुआ था।

1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रो में कई बड़ी कमियाँ पाई थी जो कि राज्य शासन की प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो (14 कंडिकाएँ) को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। प्रमुख टिप्पणिओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया हैः

- नियमों और विनियमों का अनुपालन नही किया जाना
- औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण
- दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलताएं तथा
- निरंतर तथा व्यापक अनियमितताएं

1.7.1 नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नही किया जाना

उच्च वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि किये गये व्ययों में वित्तीय नियमों तथा सक्षम प्राधिकरी द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जावे, यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने तथा अनियमितताओं, अनुपयुक्त विनियोजन एवं गबनों को रोकने में सहायक होता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न करने से उत्पन्न राशि ₹5.99 करोड़ के निष्कर्षो को इस भाग में सम्मिलित किया गया है जिसकी चर्चा आगे की गई हैः

विभागीय निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण राशि ₹ 1.65 करेड़ के ग्रेनुलर सबवेस (जी एस बी) का अनियमित निष्पादन तथा राशि ₹3.28 करोंड़ का अतिरिक्त व्यय।

(कंडिका 4.1.1)

ग्रेनुलर सब वेस (जी एस बी), वाटर बाउॅड मेंकाडम (डब्ल्यू बी एम), हार्ड शोल्डर (एच एस) तथा डामरीकरण (बी टी) कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् मिट्टी कार्य का निष्पादन एवं भुगतान राशि ₹1.06 करोड़ के संदिग्ध व्यय की ओर इंगित कर रहा था।

(कंडिका 4.1.2)

1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण

लोकधन से व्यय का प्राधिकरण, लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्वांतो से निर्देशित होना चाहिए। व्यय के लिए अधिकृत प्राधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह उसी तरह की सतर्कता रखे जैसा कि एक साधारण व्यक्ति अपने स्वंय के धन को व्यय करने में रखता है । लेखापरीक्षा के दौरान राशि ₹14.50 करोड़ के अनुचित एवं अतिरिक्त व्यय के मामले पाये गये। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्ननानुसार हैः

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना कार्य पारित किये जाने, उचित मूल्यांकन न किए जाने तथा अवास्तविक प्राक्कलन तैयार किये जाने के कारण राशि ₹ 1.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत।

(कंडिका 4.2.4)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार किये जाने के पश्चात् भी राज्य शासन द्वारा योजना लागू न किये जाने के कारण राशि ₹83.14 लाख का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.2.6)

पुलिस कर्मचारियों के सुपर स्पेशिलियेटी हास्पिटल हेतु सेटअप स्वीकृत किये जाने में शासन की विफलता के परिणाम स्वरूप राशि ₹ 7.21 करोड़ का निष्क्रिय निवेश।

(कंडिका 4.2.1)

स्फीतिपूर्ण रूपांकन तथा फ्री बोर्ड में निधारित उँचाई से उपर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के परिणम स्वरूप राशि ₹ 1.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई थी।

(कंडिका 4.2.3)

डब्ल्यू बी एम हेतु दरों के गलत निर्धारण के कारण राशि ₹35.24 लाख का ठेकेदार को अधिक भुगतान।

(कंडिका 4.2.7)

1.7.3 दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलताएं

सरकार का यह दायित्व है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन, सार्वजनिक सेवाओ आदि क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुण्वत्ता में सुधार लावे।

लेखापरीक्षा के दौरान, अनिर्णय, प्रशासनिक निरीक्षण की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही न हाने के कारण लोक परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा जारी निधियों के अउपयोगित/अवरूद्ध रहने या निष्फल/ अनुत्पादक रहने के मामले पाये गये। राशि ₹25.97 करोड़ के निरीक्षण/ प्रशासन की विफलता के मामले पाये गये। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैः-

शासन तथा जिला स्तरों पर निगरानी एवं समुचित समन्वय के अभाव के फलस्वरूप "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में राशि ₹ 7.38 करोड़ की केन्द्रीय निधि अवरूद्ध रही, एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी राशि ₹9.45 करोड़ बैंक में जमा नहीं की गई थी तथा बाद के वर्षो में भारत सरकार द्वारा राशि जारी नही की गई थी।

(कंडिका 4.3.1)

अविवेकपूर्ण योजना बनाये जाने एवं भूमि अधिग्रहण के पूर्व कार्यादेश जारी किये तथा तत्पश्चात अनुबंध के मनमानी ढंग से निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप विधायी देयताओं के रूप में राशि ₹8.15 करोड़ का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 4.3.2)

सी टी बी सी द्वारा आवश्यकता से अधिक प्रदत्त कागजों की लागत की वसूली न किया जाकर पाठ्य पुस्तक मुद्रकों को राशि ₹36.97 लाख का अनुचित वितीय लाभ दिया गया था।

(कंडिका 4.3.4)

1.7.4 निरन्तर एवं व्यापक अनियमितताएँ

यदि कोई अनियमितता साल दर साल पायी जाती है तो उसे नियमित अनियमितता माना जाता है। यदि यह सम्पूर्ण तंत्र में विद्यमान हो तो उसे व्यापक माना जाता है। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में इंगित किए जाने के पश्चात भी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति, कार्यकारिणी की शिथिलता एवं प्रभावी निगरानी की कमी का ज्ञोतक है। यह नियमों/विनियमों का पालन करने में विचलन को प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचे को कमजोर बनाता है। लेखापरीक्षा ने पाया किः-

विगाग द्वारा समय पर पहल में असफल होने के कारण संरपचों को विभिन्न सिविल कार्यो हेतु दिए गए अग्रिमों को समायोजन/वसूली पर राशि ₹84.99 लाख अवरूद्ध रहा तथा सरपंचों द्वारा शासकीय धन को अनियमित रूप से अवरूद्ध रखा गया था।

(कंडिका 4.4.1)

1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को मसौदा निष्पादन समीक्षाओं एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उनका ध्यान आकृष्ट करने हेतु एवं छः सप्ताह के भीतर उनको अपना प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए प्रेषित किया गया था। नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को छ.ग.राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इन कंडिकाओं को शामिल करने के दृष्टिकोण से उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था, इस संबंध में उनके टिप्पणी को शामिल करना वांछित था। प्रस्तावित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन समीक्षा/मसौदा कंडिका पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) से उन्हें बैठक कर चर्चा करने के लिए सलाह दिया गया था।

संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को जुन और सितम्बर 2012 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा, सी सी ओ आधारित लेखापरीक्षा एवं मसौदा कंडिका पर अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनको अपना प्रतिक्रिया भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा 15 मसौदा कंडिकाओं में से 13 का उत्तर प्राप्त हुआ था। अगस्त 2012 और मार्च 2013 के दौरान हुए चर्चा में एक निष्पादन लेखापरीक्षा दो सी सी ओ आधारित लेखापरीक्षा दो विस्तृत कंडिका मंगाये गये थे। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यशैली के निष्पादन लेखापरीक्षा पर निर्गम सम्मेंलन नही हो सका था। प्रतिवेदन में शासन के प्रतिक्रिया को सही तरीके से शामिल किया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

विधान सभा के समक्ष प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा अद्यतन परीक्षित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित सभी कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही प्रगति शासन द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करना वांछित है। विभिन्न विभागों से संबंधित नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही प्रतिवेदन पर लंबित समीक्षा से प्रकट होता है कि मार्च 2013 तक विभाग से 12 कार्यवाही प्रतिवेदन[1] लंबित था।

1

वर्ष	कंडिका
1998-99 (3)	3.5, 3.23, 3.6
1998-99 (4)	5.1.8.1
2001-02	5.31, 5.33, 5.35
2004-05	3.1, 4.2.7, 4.4.1
2005-06	5.1
2008-09	2.21
कुल	12

1.10 लेखापरीक्षा के पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही/वसूलियाँ

59 अनुबंधों में ठेकेदारों को क्रमशः राशि ₹ 21.75 करोड़ एवं राशि ₹16.12 करोड़ की राशि मोबालाईजेशन अग्रिम एवं मशीन अग्रिम के तौर पर पांच[2] कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पी आई यू) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के कार्यकारी अभियंता (फरवरी 2006 से मार्च 2009) को दिए गए थे। यद्यपि संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा निर्धारित समयावधि में मात्र राशि ₹10.27 करोड़ (₹7.08 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम + ₹3.19 करोड़ का मशीन अग्रिम) का ही वसूल किया गया था। अतः निर्धारित समयावधि में अग्रिम की वसूली ₹3.19 करोड़ का मशीन अग्रिम) का ही उनमें से वसूल होने के कारण राशि ₹6.80 करोड़ की ब्याज (जनवरी 2013 तक) के तौर पर ठेकेदारों से वसूली था। यद्यपि, संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा मात्र राशि ₹19 लाख ही वसूली किया जा सका था (अक्टुबर 2010)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई से नवंबर 2010) राशि ₹1.39 करोड़ की राशि (जनवरी 2013) की वसूली कि गई थी। शेष राशि ₹5.21 करोड़ की वसूली लंबित था।

[2] बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा, रायपुर एवं राजनांदगांव